न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री विजयेश कुमार पण्ड्या, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 32/2024

तारीख दायरः– 10.03.2024

तारीख निर्णयः–17.12.2024

1. श्री चन्दुलाल पिता बलवन्त भणात भील निवासी बुझा तहसील फलासिया। ....वादी

बनाम

1. श्री विक्रम पिता सरदारा भील निवासी बहिघाटीया तहसील फलासिया जिला उदयपुर।
2. श्रीमती जशोदा पत्नी महेश असारी निवासी गाडीवाकडा तहसील विजयनगर।
3. श्रीमती प्रमिला पत्नी सरदारा बरण्डा भील निवासी बहिघाटिया तहसील फलासिया।
4. श्री जीवा पिता गोमा भील निवासी बहिघाटीया तहसील फलासिया।
5. श्री बिरबल पिता सरदारा भील निवासी बहिघाटीया तहसील फलासिया।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फलासिया।
7. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मानपुर तहसील फलासिया।

...................प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री रतनलाल गुर्जर

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा बहिघाटीया पटवार हल्का डैया तहसील फलासिया की जमाबन्दी संवत 2077–2080 के खाता संख्या 46 में वर्णित आराजियात किता 17 कुल रकबा 3.2000 है0 भूमि स्थित है, जिसमें मृतक सरदारा पिता गोमा भील निवासी बहिघाटीया का 1/3 हिस्सा होकर उसके उक्त खाते के आराजी संख्या 426 रकबा 0.02, 431 रकबा 0.10, 446 रकबा 0.17, 447 रकबा 0.55 है0 में से अपना 1/3 हिस्सा दिनांक 11.09.2018 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी को विक्रय कर दिया व तभी से मौके पर आराजी नम्बर 447 के रकबे पर वादी को काबिज है। उक्त विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हल्का डैया को वक्त रजिस्ट्री के 01 माह के अन्दर दे दी थी, उन्होने कहा कि खाता खुलवा दिया है व सरदारा का उक्त आराजियात में 1/3 हिस्सा आपके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया है इस विश्वास पर वादी रहा व आज दिन तक समझता रहा कि उक्त कृषि भूमि वादी के खाते दर्ज हो गई है, परन्तु दिनांक 01.04.2024 को वादी को ऋण की जरूरत पडी तो पटवारी हल्का व पोर्टल पर उक्त खाते में वादी के हिस्से दर्ज भूमि की नकल प्राप्त करना चाहा तब ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि पटवारी हल्का डैया द्वारा वादी के नाम हिस्से में दर्ज नही की है, बल्कि उक्त भूमि सरदारा के फौत होने से उनके वारिसान के नाम दर्ज है। इस पर वादी ने पटवारी हल्का, तहसीलदार फलासिया को उक्त विक्रय पत्र की प्रति देकर वादी के नाम उक्त भूमि जरिये बिकाव दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो उन्होने दर्ज करने से मना कर दिया, इसलिये यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत है। वादी द्वारा क्रय की गई भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि वादी के वादी के खातेदारी में दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर